

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/25/2010-अ.भा.से.(1)


भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली; 20 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखण्ड और पंजाब की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार डा. अदापा कार्तिक, भा. प्र. से. (उत्तराखण्ड : 08) का विवाह सुश्री रूपांजलि कलसिया, भा.प्र.से. (पंजाब : 08) के साथ हो जाने के आधार पर उनका स्थानांतरण एतद् द्वारा उत्तराखण्ड संवर्ग से पंजाब संवर्ग में करती है।



(आर. के. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093683

सेवा में,

प्रबंधक,


भारत सरकार मुद्राणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

सं. 13017/25/2010-अ.भा.से.(1)

नई दिल्ली; 20 सितम्बर, 2010

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को पत्र सं. 797(1)/तीस-1-10(1)/2009, दिनांक 14.06.2010 के संदर्भ में।
2. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ को पत्र सं. 6/51/2010 - भा.प्र.से.(3)/2093, दिनांक 9.6.2010 के संदर्भ में।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
4. महालेखाकार, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़।
5. उपसचिव (एसएम) को का.जा. सं. 37/28/2010-ईओ(एसएम-1) दिनांक 9.9.2010 के संदर्भ में।
6. डा. अदापा कार्तिक, भा. प्र. से. (उत्तराखण्ड : 08) को (मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से) उनके अनुरोध दिनांक 17.5.2010 के संदर्भ में।
7. गार्ड फाइल।



(आर. के. गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093683

आंतरिक वितरण

अ.भा.से. (111)/अ.भा.से. (111)/अनु.अ.(सीएम) / ईओ (पीआर)/ ईओ(एसएम-1) / एनआईसी (इस अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने हेतु)